

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिथियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

5/6/15

पत्रावली आज राजापुर लोक अदालत विधि कोर्ट
जो फिदासी के पराडुई पत्रावली का अवलोकन किया
गया। उक्त प्रकरण के संबंध में पत्रावली देखकर तहसीलदार
नागौर ने स्वयं विभाजन के प्रस्ताव पॉटे गये हैं
जिनके संवेदन के पत्रावली हल्का पांडु द्वारा रिपोर्ट
पेश की गई है। एक नं० 86 रकबा 12.10 बीघा जो
केवल जहाजवालेदारी में दर्ज है। जो के परबंद के हिसाब में
छोड़ना के हिसाब में है जो मूल एक नं० 86 की शर्त में
है। इस नं० 86 पर छोड़ना ही कारर करवा है
मैंके पर कोई विवाद नहीं है। राजापुर रेकॉर्ड के अनुसार
किसी भी न्यायालय का स्थान पत्रावली नहीं है।
अतः उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर वाद कांडीका
स्वयं विभाजन की कार्य रिपोर्ट पेश की
किया गयी पत्रावली फुलल मुकाम होकर दाखिल
दफ्तार है।

सहायक जज (सु.)
नागौर

4.3.16

पत्रावली आज करील कांठी एवं
जालवासी की कोर्ट के अदालत मुकाम
100 रकबा पर करील पर करील पर
पेश की। कतिपय पत्रावली पेश की
है। पत्रावली फुलल मुकाम होकर
दाखिल दफ्तार है।

सहायक जज (सु.)
नागौर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

1. छोटुदास पुत्र शिवराम जाति साद निवासी पेरावा तहसील व जिला नागौर वादी
बनाम

1. बजरंगदास पुत्र शिवरामदास
2. सीताराम पुत्र शिवरामदास जाति साद निवासी पेरावा तहसील व जिला नागौर प्रतिवादीगण
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

वाद इश्तकरार हक खातेदारी घोषणा बंटवाडा खेताय
वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान टि. एक्ट

मुकदमा नं 134 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू _____
बहाजरी _____ मिनजानिब मुदई ब _____
मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि मौजा
पेरावा के खसरा नम्बर 86 रकबा 12.10 बीघा वादी छोटुदास के बंट कब्जा काश्त
खातेदारी की घोषित की जाती है।

बीज _____ मुबलिग. _____ बाबत् _____ खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह
_____ फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. _____ को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4.3.16 को जारी की गई।

(ए.एच.गौरी)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुकमनामा	—	—
बबत् इजराय हुकमनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये
दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर